(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 4)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2011

S.R.O...12(E) Whereas, draft Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011 were published [as required by clause (k) of sub-section 2 of section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)] in Part-II, section 4 of the Gazette of India, vide notification of the Government of India, Ministry of Defence, SRO 11 (E) dated the 23rd August, 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the said Gazette notification are made available to the public;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public by 13th January, 2011by the Cantonment Boards;

And, whereas, the objections and suggestions received before the date so specified have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (k) of sub-section 2 of section 346 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and extent**- (1) These rules may be called the Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011.

(2) They shall extend to all Cantonments.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) "Board" means a Cantonment Board constituted under the Act;

(c) "meeting" include all the meetings of the Board as provided in section 39 of the Act;

(d) "member" means the member of the Board;

(e) "President" means the President of the Board;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Presence of the Member at the meeting of the Board.**- No Member shall absent himself from the meeting of the Board without the permission of the Board.

4. **Application for leave of absence.**- No member shall remain absent from the meeting of the Board unless he seeks prior leave of absence from the Board by applying in writing to the President:

provided that the President may, in exceptional circumstances, grant leave to a member subject to confirmation by the Board at the next meeting.

Explanation.- For the purposes of this rule, "exceptional circumstances" include sudden illness, exigencies of service and personal compulsions, to be established by the member to the satisfaction of the President.

5. **Communication of decision of Board.**- The Chief Executive Officer shall, as soon as may be, after a decision is taken by the Board in respect of an application for leave of absence referred to in rule 5, communicate it to the member concerned.

6. **Lapse of unexpired portion of leave.**- If a member who has been granted leave of absence under these rules attends the meeting of the Board during the period for which the leave of absence has been granted to him, the unexpired portion of the leave from the date of his attendance shall lapse.

7. **Leave of absence by the President.-** In the case of the President, prior leave of absence shall be sanctioned by the Officer Commanding-in-Chief, the Command:

provided that where the Officer Commanding-in-Chief the Command is satisfied that the President was unable for sufficient and reasonable cause to seek prior leave of absence, he may grant leave of absence ex-post-facto.

[F.No.14 (5)/2009/D (Q&C)]

(ASHOK KUMAR GUPTA)
Joint Secretary to the Government of India

Publish

(ASHOK KUMAR GUPTA)
Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 26 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

का.नि.आ. 12 (अ) छावनी बोर्ड के सदस्यों को छुट्टी की मंजूरी के प्रारूप नियम, 2011 को छावनी अधिनियम 2006, (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) की अपेक्षानुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, का.नि.आ. 11 (अ) तारीख 23 अगस्त, 2010 के द्वारा भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और जिससे ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं से साठ दिनों की समाप्ति होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां छावनी बोर्डों द्वारा जनता को 13 जनवरी, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त आक्षेप तथा सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 346 की उपधारा 2 के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार – (1) इन, नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी बोर्ड के सदस्यों को छुट्टी की मंजूरी नियम 2011 है|

(2) इनका विस्तार सभी छावनियों पर होगा|

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि इस विषय अथवा संदर्भ में कोई भी चीज प्रतिकूल न हो:-

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम के अंतर्गत गठित छावनी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अधिवेशन" के अंतर्गत अधिनियम की धारा 39 में उपबंधित बोर्ड के सभी अधिवेशन भी शामिल हैं;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ है जो अधिनियम में है|

3. बोर्ड के अधिवेशन में सदस्य की उपस्थिति – कोई भी सदस्य बोर्ड की अनुमति के बिना बोर्ड के अधिवेशन से अनुपस्थित नहीं होगा|

4. अनुपस्थिति की छुट्टी का आवेदन - कोई भी सदस्य अध्यक्ष से लिखित में बोर्ड से अनुपस्थित रहने की पूर्व छुट्टी लिए बिना बोर्ड के अधिवेशन से अनुपस्थित नहीं होगा|

परन्तु असाधारण परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा आगामी अधिवेशन में पुष्टि किये जाने पर अध्यक्ष किसी सदस्य को छुट्टी प्रदान कर सकते हैं|

<u>स्पष्टीकरण</u> – इस नियम के प्रयोजन के लिए असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसी आकस्मिक बीमारी, काम की अत्यावश्यकता और निजी विवशता भी सम्मिलित है, जिनके बारे में सदस्य अध्यक्ष को समाधानप्रद रूप में सिद्ध करेगा|

5. बोर्ड के निर्णय की संसूचना – मुख्य अधिशासी अधिकारी नियम 5 में उल्लिखित अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए किसी आवेदन पर बोर्ड द्वारा निर्णय लेने के पश्चात उस निर्णय की सूचना यथाशीघ्र सदस्य को देंगे|

छुट्टी के अनवसित भाग का व्यपगत – यदि किसी सदस्य को जिसे इन नियमों के अधीन बोर्ड के अधिवेशन से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्रदान की गई है, उस अवधि के दौरान जिसमें अनुपस्थिति की छुट्टी उसे प्रदान की गई है, बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहता है तो बैठक में उसकी उपस्थिति की तारीख से छुट्टी का अनवसित भाग व्यपगत हो जायेगा।

7. <u>अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति की छुट्टी</u> – अध्यक्ष के मामले में, अनुपस्थिति की पूर्व छुट्टी की मंजूरी कमान के अफसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा दी जायेगी।

परन्तु यदि कमान के अफसर कमांडिंग-इन-चीफ इस बात से संतुष्ट हों कि अध्यक्ष के पास अनुपस्थिति की पूर्व छुट्टी न लिए जाने के पर्याप्त तथा समुचित कारण थे तो वह अनुपस्थिति की छुट्टी की कार्योत्तर मंजूरी दे सकेगा।

[फा.सं. 14 (5)/2009/डी (क्यू एण्ड सी)]

(अशोक कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रकाशित करें

(अशोक कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार